बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं०-स०क०निग०-80/2023-......4280....................../ जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज के पत्रांक-1747 दिनांक-01.07.2023 द्वारा श्री रविशंकर तिवारी, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशनगंज सम्प्रति कटिहार के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोप पत्र में श्री रवि शंकर तिवारी के विरूद्ध सतत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण दिनांक 29.10.2022 को 05 विधि विवादित किशोर सुरक्षित स्थान, जुलजुली, किशनगंज से फरार होने, दिनांक 16.03.2023 को एक आवासित बालिका सुश्री खुशबू कुमारी बालिका गृह, किशनगंज से अचानक गायब होने, दिनांक 08.04.2023 को एक आवासित बालिका द्वारा भागने का असफल प्रयास किये जाने एवं अन्य आरोप लगाया गया।

उक्त आरोप पत्र में उल्लिखित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-4401 दिनांक-11.09.2024, पत्रांक-5120 दिनांक-15.10.2024 एवं पत्रांक-1526 दिनांक-04.03.2025 द्वारा अरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में श्री तिवारी के पत्रांक-104 दिनांक-11.03.2025 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री तिवारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत श्री रविशंकर तिवारी के विरूद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-2584 दिनांक-27.05.2026 द्वारा श्री तिवारी से बचाव का लिखित अभिकथन/बचाव बयान की मांग की गई। श्री तिवारी के पत्रांक- 739 दिनांक-11.06.2026 द्वारा अपना बचाव बयान विभाग को उपलब्ध कराया गया।

आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोप पत्र के आरोप संख्या-1, 3 एवं 4 के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण सह पर्यवेक्षण दायित्वों के निर्वहन का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया। अतएव प्रशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रविशंकर तिवारी के विरूद्ध चेतावनी के साथ 03 (तीन) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति देने का निर्णय लिया गया।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रविशंकर तिवारी, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशनगंज सम्प्रति कटिहार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा- संशोधित) के नियम-14(v) के तहत चेतावनी के साथ 03 (तीन) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/7/26

(भोगेन्द्र नाथ झा)

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-80/2023- 4280 पटना-15 दिनांक :-03.8.2026

ईमेल/ निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, /पूर्णियाँ/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, किशनगंज/कटिहार/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज/कटिहार /माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) श्री रविशंकर तिवारी, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशनगंज सम्प्रति कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/26

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।